Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 5, 2010
(BHADRA 14, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th September, 2010

No. 28—HLA of 2010/60.—The Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 28—HLA of 2010

THE HARYANA VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2010. Short title.

2. In sub-section (1) of section 8 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003, for the first and second provisos, the following provisos shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 20th March, 2009, namely:— Amendment of section 8 of Haryana Act 6 of 2003.

"Provided that where the goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in Schedule E and partly otherwise, the input tax in respect of such goods shall be computed pro rata:

Provided further that if input tax in respect of any goods purchased in the State has been availed of but such goods are subsequently used or disposed of in the circumstances mentioned in Schedule E, the input tax in respect of such goods shall be reversed.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The amendment Bill has been proposed with a view to avoid the inconvenience caused to the trading community on account of amendment in section 8(1) of the Haryana VAT Act (*vide* Haryana VAT Amendment Act 2009) whereby the Input Tax Credit, on goods left in stock (as such or in other form subject to schedule 'E') at the close of the financial year,was deferred till the stage of sale thereof or of the goods manufactured therefrom. The above said amendment had resulted into blocking of the working capital in case of an honest tax payer also. Therefore, in larger interest of State and to avoid undue inconvenience to the trading community, the amendment Bill seeks to restore the earlier position of law regarding allowance of Input Tax Credit in respect of goods left in stock.

BHUPINDER SINGH HOODA,

Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly by the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 5th September, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As stated in the Statement of Objects and Reasons, the purpose of the proposed amendment is to avoid undue inconvenience caused to the trading community on account of amendment in section 8(1) of the Haryana Act whereby the Input Tax Credit, on goods left in stock at the close of the financial year , was deferred till the stage of sale thereof or of the goods manufactured therefrom. The proposed amendment restores the earlier position of law regarding Input Tax Credit in respect of goods left in stock and there is no revenue implication as such and only the Input Tax Credit on goods purchased is proposed to be allowed at the time of purchases itself instead of at the stage of subsequent sale, and hence is revenue neutral.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 28-एच० एल० ए०

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

2003 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 8 का संशोधन।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) में, प्रथम तथा द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 20 मार्च, 2009 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु जहां राज्य में खरीदा गया माल अंशत: अनुसूची ङ में वर्णित परिस्थितियों में तथा अंशत: अन्यथा उपयोग किया गया है अथवा व्ययन किया गया है तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर अनुपातिक संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य में खरीदे गए किन्हीं मालों के संबंध में कोई निवेश कर का लाभ उठाया गया है किन्तु ऐसे माल का अनुसूची ङ में वर्णित परिस्थितियों में तत्पश्चात् उपयोग किया गया है अथवा व्ययन किया गया है, ऐसे माल के संबंध में निवेश कर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

संशोधन बिल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम (2009 के हरियाणा मूल्य वर्धित संशोधन, अधिनियम द्वारा) की धारा 8 (1) में संशोधन जिससे वित्तीय वर्ष के समापन पर भंडार में पड़े माल पर निवेश कर (ऐसे ही अथवा अनुसूची ङ के अधीन किसी अन्य स्थिति में) बिक्री होने अथवा उनसे माल के उत्पादन होने तक लम्बित कर दिया गया था, के कारण व्यापारिक समुदाय को हुई असुविधा को दूर करने के लिए प्रस्तावित है। उक्त संशोधन का परिणाम ईमानदार कर दाताओं के मामले में निवेश करके सम्बन्ध में उनकी चालू पूंजी में रुकावट होना निकला था। अत: संशोधन बिल, राज्य के हित में तथा व्यापार समुदाय की अनुचित असुविधा को दूर करने के लिए, भंडार में बचे माल के सिलसिले में निवेश कर के सम्बन्ध में कानून की पूर्व स्थिति पुन: स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त करना है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
5 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उल्लेखित है, प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 (1) में संशोधन जिससे वित्तीय वर्ष के समापन पर भंडार में पड़े माल पर निवेश कर बिक्री होने अथवा उनसे माल के उत्पादन होने तक लम्बित कर दिया गया था, के कारण व्यापारिक समुदाय को हुई अनुचित असुविधा को दूर करना है। प्रस्तावित संशोधन भंडार में पड़े माल के सिलसिले में निवेश कर से सम्बन्धित कानून की पूर्व स्थिति पुन: स्थापित करना है तथा इससे कोई वित्तीय विवेक्षा नहीं है और खरीदे गए माल पर बाद में होने वाली बिक्री की जगह इसके खरीद करते समय की निवेश कर मंजूर करना प्रस्तावित है, और राजस्व सामान्य है।

47650—H.V.S.—H.G.P., Chd.